

उत्तर रेलवे

पत्र सं०-752E/IA/CMP/^{Medical}Mechanical

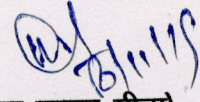
मण्डल कार्यालय
उ०रे०,लखनऊ
दिनांक-08.11.19

ई०डी०पी० सेंटर
उ० रे०,लखनऊ

विषय- अनुबंध के आधार पर सी०एम०पी० का विज्ञापन रेलवे बेवसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।

लखनऊ मंडल में अनुबंध के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिसनर की नियुक्ति हेतु सीधे साक्षात्कार दिनांक- 22.11.19 को मंडल चिकित्सालय उ० रे० में होना है।
कृपया इसका विज्ञापन रेलवे बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु भेजा जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।


(महेश कुमार मीना)
कृते मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक
उ० रे०,लखनऊ

**लखनऊ मंडल में अनुबंध के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिसनर की नियुक्ति हेतु सीधे साक्षात्कार
(वाक इन इंटरव्यू)।**

अनुबंध के आधार पर लखनऊ मंडल उत्तर रेलवे में कार्य करने हेतु पूर्णकालिक 01 स्पेशलिस्ट / सुपर स्पेशलिस्ट एवं जनरल ड्यूटी के लिए 02 मेडिकल प्रैक्टिसनरों पुरुष/महिला की रिक्तियों को भरने के लिए साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा। अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी और अनुबंध की अवधि सफलापूर्वक पूरा करने के बाद अनुबंध को आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम अनुबंध की अवधि 12 वर्ष की हो सकती है। सेवानिवृत्ति सरकारी डॉक्टर को 65 वर्ष की आयु तक एक वर्ष प्रत्येक की पॉच अनुबंध अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। योग्य उम्मीदवारों को नीचे दिये गये अनुसार, तिथि एवं समय एवं स्थान पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है।

साक्षात्कार का स्थान	तिथि	समय
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कार्यालय मंडल रेलवे चिकित्सालय, उ०रे०/चारबाग, लखनऊ।	22.11.2019	11.00 बजे

कम सं०	स्टेशन/स्वास्थ्य इकाई	पदों की संख्या
1	उत्तर रेलवे, वाराणसी, सुल्तानपुर/लखनऊ (सीएमपी/जीडीएमओ)	02
2	मंडल चिकित्सालय, चारबाग, लखनऊ (सीएमपी/ स्पेशलिस्ट	01

पारिश्रमिक

सीएमपी की श्रेणी	मासिक पारिश्रमिक रुपये में
जीडीएमओ	75000 / -
स्पेशलिस्ट प्रथम वर्ष	95000 / -
स्पेशलिस्ट	105000 / -
सुपर स्पेशलिस्ट	1150000 / -

- पद का नाम:** पूर्ण कालिक नियुक्ति पर अनुबंधित मेडिकल प्रैक्टिसनर सीएमपी
- नियुक्ति की प्रकृति:** नियुक्ति एक वर्ष के लिए पूर्णतया अनुबंध के आधार पर या नियमित यू०पी०एस०सी० चयनित डॉक्टर एडीएमओ, डीएमओ/वरि० डी०एम०ओ० के उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो के अधीन की जायेगी। इसके अलावा इसे डॉक्टरों की सेवाएं एक वर्ष पूर्ण होने से पहले भी समाप्त की जा सकती हैं। अनुबंध डॉक्टर के रूप में दी गयी सेवाएं एक ठहराव अन्तर व्यवस्था है और इसमें यू०पी०एस०सी० के माध्यम से नियमित चयन के मामले में किसी भी अवधि पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुबंध आधार पर नियुक्त किसी भी परिस्थिति में स्वतः ही नियमितीकरण/समायोजन का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- अन्य सुविधाएं—** प्रत्येक अनुबंध के दौरान स्वयं पर परिवार के लिए प्रथम श्रेणी का पास का एक सेट जिसे नियमित अनुबंध सेवा के तीन माह बाद जारी किया जायेगा। सेवा निवृत्ति डॉक्टरों को छोड़कर, अनुबंधित मेडिकल प्रैक्टिसनर केवल अन्य लागू शर्तों पर चयन के लिए निःशुल्क चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकता है।

अनुबंध कार्य के संबंध में आउट स्टेशन यात्रा पर व्यय, निर्दिष्ट दरों पर दैनिक भत्तों द्वारा वहन किया जायेगा और इसे कार्यों के लिए स्वीकार है।

- शैक्षिक योग्यता—** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस और एक वर्ष की ~~बेसि~~ इंटरशिप अवश्य पूरी होनी चाहिए और किसी भी भारतीय राज्य चिकित्सा परिषद का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।

स्पेशलिस्ट के मामले में उसके पास स्पेशलिस्टी / सुपर स्पेशलिस्टी में पी०जी० योग्यता/ डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए (स्पेशलिस्ट के मामले में OPHTHALMOLOGY, ENT, SURGERY and PSYCHIATRY एवं सुपर स्पेशलिस्ट के मामले में All fields में वरीयता दी जायेगी),

ख.- सेवानिवृत्ति आईआरएमएस अधिकारी/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्ति सरकारी चिकित्सा अधिकारियों के लिए आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जो न्यूनतम एक वर्ष एवं अधिकतम पाँच वर्ष के लिए होगा।

ग. वर्तमान नियमों के अनुसार आरक्षण नीति लागू होगी।

पदों की संख्या-03

क्रम सं०	स्टेशन/स्वास्थ्य ईकाई	अनु जा०	अ०ज०जा०	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
1	मण्डल चिकित्सालय, चारबाग, लखनऊ	—	—	01	—
2	स्वास्थ्य ईकाई, उत्तर रेलवे, सुल्तानपुर	—	—	01	—
3	स्वास्थ्य ईकाई, उत्तर रेलवे वाराणसी	—	—	01	—

रिक्तियों केवल सांकेतिक हैं, आवश्यकता के अनुसार प्रशासन चयनित उम्मीदवारों को लखनऊ मण्डल उत्तर रेलवे में कहीं पर भी नियुक्त कर सकता है।

उपरोक्त नियम एवं शर्तों को पूरा करने वाले एवं अपेक्षित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्र एवं एमसीआई (भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकरण, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आरक्षित समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में) चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र, प्रत्येक की एक-एक फोटो कापी एवं दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं।



आवेदन के प्रारूप

सीएमपी (जीडीएमओ/स्पेशलिस्ट/सुपर स्पेशलिस्ट की नियुक्ति के लिए आवेदन पद _____
स्टेशन _____

1. नाम बड़े अक्षरों में (हिन्दी में) _____
(अंग्रेजी में) _____

फोटो

2. पिता/पति का नाम _____

3. पता (क) स्थायी _____

(ख) वर्तमान _____

(ग) टेलीफोन/मोबाइल नं०) _____

(घ) ई मेल आईडी _____

4. जन्मतिथि _____

5. राष्ट्रीयता/धर्म _____

6. शैक्षिक योग्यता _____

(एमबीबीएस/एमडी/एमएस/डीएम/सुपर स्पेशलिस्ट योग्यता, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, प्राप्तांको का प्रतिशत, वर्ष)

7. सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी _____

8. स्नातक/स्नातकोत्तर के बाद अनुभव _____

9. चिकित्सा पंजीकरण सं० एवं दिनांक _____

घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिये गये विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है। मैं समझता हूँ कि यदि दी गयी जानकारी कोई भी विवरण गलत या असत्य पाया जाता है या कोई मिथ्या विवरण या विवरणों में विभिन्नता पायी जाती है तो मैं तत्काल सेवा से निष्काशित किया जाने और कोई भी सिविल/आपराधिक/कानूनी कार्यवाही किये जाने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि यदि मेरा चयन हो जाता है और मैं साक्षात्कार के लिए 15 दिन के भीतर अपना कार्य ग्रहण नहीं करता हूँ तो रेलवे भविष्य में भारतीय रेलवे में किसी भी पद के लिए मेरी उम्मीदवारी पर विचार नहीं करने का अधिकार रखता है।

मैं समझता हूँ कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए मैं किसी टीए, डीए के लिए योग्य नहीं हूँ।

दिनांक -

उम्मीदवार के हस्ताक्षर _____